न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

सरकार, अधीक्षक मद्य निषेध, सहरसा
बनाम
मुकेश चौधरी एवं अन्य।

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा, केस संख्या– **373/2020–21,**

केस का प्रकार– बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के अधिहरण (confiscation)/विनष्टीकरण एवं जप्त दो पासी खाना के अधिहरण करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–:आदेश:– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्य निषेध, सहरसा के पत्रांक 1615/उत्पाद, दिनांक 23.12.2019 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 382/2019 में जप्त महुआ चुलाई शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त दो पासी खाना के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान– पटोरी बाजार, थाना– बिहरा एवं घटना की तिथि 17.08.19 के साथ वर्णित है कि– "दिनांक–17.08.19 को समय 06:05 पी0एम0 में पटोरी बाजार वार्ड नं0–09 थाना–बिहरा में की गई गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में मुख्य सड़क किनारे मुकेश चौधरी पे0– स्व० कप्पो चौधरी पटोरी सहरसा के नीज पासी खाना से 15 ली0 अ0म0चु0 शराब बरामद एवं बगल के पासी खाने राजेश चौधरी पे0 स्व0 बुचन चौधरी सा0–पटोरी सहरसा के मालकाना हक से 05 ली0 अ0म0चु0 शराब बरामद।" प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त दोनों पासी खाना के अधिहरण करने हेतु अनुरोघ किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का आदेश दिया गया। साथ ही दोनों पासी खाना के अधिहरण के बिन्दु पर प्रस्ताव में अंकित प्रतिवादी पासी खाना मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। प्रतिवादी मुकेश चौधरी पे0– स्व० कप्पो चौधरी उर्फ कप्पो पासी एवं राजेश चौधरी पे0 स्व0 बुचनेश्वर चौधरी दोनो सा0–पटोरी बाजार वार्ड नं० 09, थाना–बिहरा, जिला–सहरसा उपस्थित हुए। उनके ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी का कहना है कि उनके स्वत्व और दखल कब्जा के	

क्षेत्र से किसी भी प्रकार का अवैध उत्पाद वस्तु बरामद नहीं हुआ है। प्रतिवादी मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज वाद में जमानत पर है और मामला विचाराधीन है। प्रतिवादी का घर जिस स्थान पर है वहां चारों ओर प्रतिवादीगण जो जाति से पासी हैं और महादलित समुदाय से आते है, उनलोगों का ही घर है। इनमें से कई लोग पूर्व में ताड़ी का कारोबार किया करते थे जिस कारण अगल बगल का सभी स्थान पासी खाना के नाम से ही जाना जाता है तथा यह बाजार का व्यावसायिक क्षेत्र भी है। वर्त्तमान में शराबबंदी के बाद कुछ लोग नीरा का कारोबार करते हैं तथा उसे भी पासीखाना के ही नाम से जाना जाता है। दोनों प्रतिवादी सदस्यों में से कोई भी न तो पहले ताड़ी का कारोबार करते थे न ही वर्त्तमान में नीरा का कारोबार करते है।

इनका आगे कहना है कि दोनो प्रतिवादी के पिता के नाम से स्पष्ट है कि दोनों अलग–अलग परिवार से हैं। दोनों प्रतिवादी सदस्यों का कारोबार, खान–पान, रहन–सहन सब कुछ अलग–अलग है तथा दोनों के किसी भी प्रकार के कारोबार से एक दुसरे को कोई मतलब नहीं है। फिर भी, दोनों को एक साथ मुदालह बनाया गया और दोनों के विरूद्ध अधिहरण के लिए एक साथ प्रस्ताव और नोटिस भी हुआ। वास्तविकता यह है कि स्थानीय गंदी राजनीति एवं व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण प्रस्तुत प्रस्ताव में इन्हें फंसाया गया है।

अंततः इनका कहना है कि उत्पाद विभाग द्वारा छापामारी के क्रम में किसी भी स्थान को सील नहीं किया गया है और न ही उत्पाद विभाग के प्रस्ताव में तथाकथित पासीखाना का विवरण ही दिया गया है। इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग की कार्रवाई दुर्भावना एवं स्थानीय राजनीति से प्रेरित है। ये निर्दोष हैं और इन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। इनके ओर से अधिहरण प्रस्ताव को अनिश्चितता और अस्पष्टता के आधार पर खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि पासीखाना का प्रयोग शराब के अवैध भंडारण एवं बेचने में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त पासीखाना को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि अधिहरण प्रस्ताव में प्रस्तावित सम्पत्ति का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। प्राप्त प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः, उक्त अधिहरण प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक ....918..../न्याया०,   सहरसा, दिनांक ...08.12.20...

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

8.12.20

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
08/12/20